आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023–24/9171 दिनांक– 08/01/24

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 मे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री(बी.एड.) संबल योजना एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल पुनः खोलने बाबत्।

संदर्भ– विज्ञप्ति क्रमांक–6611 दिनांक–30.06.2023, 6849 दिनांक–31–07–2023, 6934 दिनांक–08–08–2023 तथा 7441 दिनांक–03–10–2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री(बी.एड.) संबल योजना एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन हेतु दिनांक–08.01.2024 से पोर्टल पुनः खोला जाता है। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल पुनः प्रारम्भ की तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2023–24	08.01.2024	15.03.2024
2	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2023–24	08.01.2024	15.03.2024
3	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना	2023–24	08.01.2024	15.03.2024

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा /अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, परिपत्र क्रमांक–955 दिनांक–30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023–24/9172-76 दिनांक– 08/01/24

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\5294943_7136751955203416127.doc

RajKaj Ref
5294943

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2024.01.05 1?:53:34 IST
Reason: Approved